

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6787/

जबलपुर, दिनांक 4 / 11 / 2025

श्री उमेश कुमार खीची, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर संलग्न को छठ पूजा हेतु दिनांक 27.10.2025 से 01.11.2025 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/6788/

जबलपुर, दिनांक 4 / 11 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/प्रशासन/अवकाश/2655 इंदौर दिनांक 08.10.2025 के संदर्भ में श्री उमेश कुमार खीची, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2025 के संदर्भ में अनुरोध है कि आदेश प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)